संख्या-3/2016/वे0आ0-2-1232/दस-2015-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 11 जनवरी,2016**

विषय- कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों पर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की व्यवस्था के निर्धारण से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया के आधार पर 04 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) निर्धारित किये गये। उक्त के सम्बन्ध में यह संज्ञान में लाया गया कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अनुसार आई0टी0आई0 में प्रवेश हेतु वर्तमान में किसी भी ट्रेड के लिए इण्टरमीडिएट शैक्षिक अर्हता निर्धारित नहीं है। पूर्व में कतिपय ट्रेडों के लिए शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट निर्धारित थी, किन्तु उन ट्रेडों हेतु पाठ्यक्रम की अवधि 01 वर्ष या 06 माह की ही थी। किसी भी ट्रेड के लिए इण्टरमीडिएट के साथ पाठ्यक्रम की अवधि 02 वर्ष निर्धारित नहीं रही है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों पर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की व्यवस्था के निर्धारण से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों के लिये निम्न तालिका के स्तम्भ-2 के अनुसार निर्धारित वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ-3 के अनुसार संशोधित व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:--

क्र0 सं0	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(1)	(2)	(3)
1	कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों के	कनिष्ठ वर्ग के ऐसे प्राविधिक पद, जिन पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वेतनमान रू0 2610-3540 तथा 2650-4000 के पदों को वेतनमान रू0 2750-4400 के स्तर पर उच्चीकृत करते हुए सादृश्य वेतन बैण्ड-1 तथा ग्रेड वेतन रू0 1800/- स्वीकृत किया जाये। भविष्य में उक्त श्रेणी के पदों पर कक्षा-8 उत्तीर्ण तथा आई0टी0 आई0 के प्रमाण पत्र के अर्हताधारियों को ही नियुक्त किया जाये। ऐसे प्राविधिक पद जिनके द्वारा निस्तारित किये जाने वाले कार्यों के विषय से सम्बन्धित ट्रेड आई0टी0आई0 में न हो उन विषयों से सम्बन्धित पदों पर नियुक्तियों के लिये भारत सरकार द्वारा SKILL DEVELOPMENT INITIATIVE SCHEME (SDIS) BASED ON MODULAR EMPLOYABLE SKILLS (MES) योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से भरा जाये।	सीधी भर्ती की अर्हता कक्षा-8 के साथ आई0टी0आई0 का एक वर्षीय प्रमाण पत्र निर्धारित है, उन पदों पर वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/- बनाये रखा जाय तथा कनिष्ठ वर्ग के जिन प्राविधिक पदों की अर्हता इससे निम्न है, उन पदों पर भविष्य में नियुक्ति हेतु अर्हता कक्षा-8 के साथ आई0टी0आई0 का एक वर्षीय प्रमाण-पत्र निर्धारित किया जाय। ऐसे प्राविधिक पद जिनके द्वारा निस्तारित किये जाने वाले कार्यों के विषय से सम्बन्धित ट्रेड आई0टी0आई0 में न हो उन विषयों से सम्बन्धित पदों को भारत सरकार द्वारा SKILL DEVELOPMENT INITIATIVE SCHEME (SDIS) BASED ON MODULAR EMPLOYABLE SKILLS (MES) योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से भरा जाय।
2	ऐसे प्राविधिक पद जिन पर सीधी भर्ती की न्यूनतम शैक्षिक/ प्राविधिक अर्हता हाईस्कूल तथा राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष संस्था द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय प्रमाण-पत्र निर्धारित है अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में वेतनमान रू0 2650-4000 में कार्यरत पदधारक पदोन्नति होकर नियुक्त होते हैं, उन्हें रू0 3050-4590 का वेतनमान अनुमन्य कराया जाय। इस श्रेणी के ऐसे पदधारक जो उपरोक्त संस्तुति वेतनमान से	ऐसे प्राविधिक पद, जिन पर सीधी भर्ती की न्यूनतम शैक्षिक/ प्राविधिक अर्हता कक्षा-8 के साथ सम्बन्धित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद/ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष संस्था द्वारा प्रदत्त दो वर्षीय प्रमाण पत्र निर्धारित है अथवा हाईस्कूल के साथ सम्बन्धित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद/शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष संस्था द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय प्रमाण-पत्र निर्धारित है अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/- के प्राविधिक पदों के 03 वर्ष की सेवा वाले पदधारकों से पदोन्नति होकर नियुक्त होते हैं, उन पदों पर वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	उच्च वेतनमान में कार्यरत हैं, उन्हें वर्तमान में प्राप्त वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य रहेगा। भविष्य में इन पदों के कम से कम 50 प्रतिशत पदों को उपरोक्त शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता के पदधारकों से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय तथा शेष 50 प्रतिशत पदों को रू0 2650-4000 के वेतनमान में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्थायी पदधारकों से उपयुक्ता के आधार पर पदोन्नति कर भरा जाय। ऐसे विभाग जहाँ पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग नहीं हैं, वहाँ पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।	एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/- अनुमन्य किया जाय। इस श्रेणी के ऐसे पदधारक, जो उपरोक्त संस्तुत वेतनमान से उच्च वेतनमान में कार्यरत हैं, उन्हें वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन को वैयक्तिक रूप से बनाये रखा जाय। भविष्य में इन पदों के 50 प्रतिशत पदों को उपरोक्त शैक्षिक/ प्राविधिक अर्हता के पदधारकों से सीधी भर्ती द्वारा भरने तथा शेष 50 प्रतिशत पदों को वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/- के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा भरने की व्यवस्था रखी जाय। ऐसे विभाग जहॉ पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग नहीं हैं, वहॉ इन पदों को उपर्युक्त अर्हता के अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय।
3	ऐसे पद जिन की सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक/ प्राविधिक अर्हता हाईस्कूल के साथ राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद/ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष संस्था से 02 वर्षीय प्रमाण-पत्र तथा सम्बन्धित क्षेत्र का अनुभव आवश्यक है अथवा ऐसे पद जिनके पदधारक अपने मौलिक कार्य के साथ-साथ कुछ पर्यवेक्षीय कार्य भी करते हों और रू0 3050-4590 के वेतनमान में कार्यरत पदधारकों से पदोन्नति होकर नियुक्त होते हैं, उन्हें रू0 4000-6000 का वेतनमान अनुमन्य कराया जाय। इस श्रेणी के ऐसे पदधारक जिन्हें वर्तमान में उक्त वेतनमान से उच्च वेतनमान अनुमन्य हो रहा है,	ऐसे प्राविधिक पद, जिन पर सीधी भर्ती की न्यूनतम शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता हाईस्कूल तथा आई0टी0आई0 या समकक्ष संस्था से दो वर्षीय प्रमाण-पत्र तथा कम से कम एक वर्ष का अनुभव निर्धारित है अथवा वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/- के प्राविधिक पदों के पदधारकों से पदोन्नति कर भरे जाने का प्राविधान हैं, उन्हें वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/- में रखा जाय। भविष्य में ऐसे पदों को वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/- के ऐसे पदधारकों से जो स्थायी हो और पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों, से पदोन्नति द्वारा भरा जाय। ऐसे विभाग जहॉ पदोन्नति हेतु पोषक पद उपलब्ध नहीं हैं वहॉ इन पदों को उपर्युक्त इंगित अर्हता वाले अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती से भरा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	उन्हें वह वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य रहेगा। भविष्य में ऐसे पदों को शत-प्रतिशत रू0 3050-4590 के वेतनमान में कार्यरत ऐसे पदधारकों से पदोन्नत कर भरा जाय जो स्थायी हों, और जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। ऐसे विभाग जहॉ इस श्रेणी के पदों पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग नहीं है वहॉ इन्हें प्रस्तावित शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता धारियों से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।	
4	ऐसे पद जो मूलतः पर्यवेक्षीय पद हैं और जिन्हें रू0 4000-6000 के वेतनमान के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है अथवा सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता इण्टरमीडिएट तथा दो वर्षीय प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव निर्धारित हो उन्हें वेतनमान रू0 4500-7000 अनुमन्य कराया जाय। इस श्रेणी के ऐसे पदधारक जिन्हें उक्त वेतनमान से उच्चतर वेतनमान मिल रहा है, उन्हें प्राप्त वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य रहेगा।	ऐसे पद जो मूलतः पर्यवेक्षीय पद हैं और जिन्हें वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/- के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है उन्हें वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- अनुमन्य किया जाय। इस श्रेणी के ऐसे पदधारक, जिन्हें उक्त वेतनमान से उच्चतर वेतनमान मिल रहा है, उन्हें प्राप्त वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य रहेगा।

उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-3 के अनुसार निर्धारित संशोधित व्यवस्था, वित्त विभाग द्वारा निर्णय संसूचित करने से सम्बन्धित शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-3/2016/वे0आ0-2-1232(1)/दस-2015-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।